न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राजस्थान)

प्रा.पत्र संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/161/2021	2021/00102	08.10.2021	28.02.2022

1. बनारसी उर्फ बनवारी जाति माली, निवासी ढाणी नोपलावाली तन बाढ ठेगुवास तहसील बानसूर, जिला अलवर राज0।

प्रार्थीगण

बनाम

1. छीतर पुत्र सुक्खा जाति माली,
2. सांवत पुत्र सुक्खा जाति माली,
3. गणपत पुत्र सुक्खा जाति माली,
4. केशर देवी स्त्री शिम्भूदयाल जाति माली,
5. गोकुल पुत्र शिम्भुदयाल जाति माली,
6. संजय कुमार पुत्र शिम्भुदयाल माली, निवासीयान ढाणी नोपलावाली तन बाढ ठेगुवास तहसील बानसूर जिला अलवर राज0
7. कुष्णा पुत्री शिम्भुदयाल स्त्री मुकेश जाति माली,
8. सुनीता उर्फ सन्नी पुत्री शिम्भुदयाल स्त्री धर्मपाल जाति माली, निवासीयान ढाणी बाढ ठेगुवास तहसील बानसूर हाल निवासी सरकारी अस्पताल के पीछे बर्डोद तहसील बहरोड़ जिला अलवर
9. माफी उर्फ ललिता पुत्री शिम्भुदयाल स्त्री छुटटन जाति माली,
10. सुमन उर्फ घम्मा पुत्री शिम्भुदयाल स्त्री मोहन जाति माली निवासीयान ढाणी नोपलावाली बाढ ठेगूवास तहसील बानसूर हाल निवासी जोहड़ की ढाणी तन विराटनगर तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0
11. सुनिता पत्नि पोखर पुत्रवधु सांवत जाति माली निवासी ढाणी नोपलावाली तन बाढ़ ठेगुवास तहसील बानसूर जिला अलवर
12. दुर्गा प्रसाद पुत्र भरथा जाति माली निवासी ढाणी नोपलावाली तन बाढ ठेगुवास तहसील बानसूर जिला अलवर
13. रामसिंह पुत्र हजारीलाल जाति अहीर निवासी बुचियावास तहसील बानसूर जिला अलवर
14. अजीत सिंह पुत्र कैलाश चन्द जाति महाजन निवासी मौहल्ला बडाबास तहसील कोटपुतली जिला जयपुर राज0
15. मनोज कुमार पुत्र छीतर जाति माली निवासी ढाणी नोपलावाली तन बाढ ठेगुवास तहसील बानसूर जिला अलवर

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र मुन्तकिल

उपस्थितः—

03. श्री रविन्द्र सिंह सैनी —वकील प्रार्थी
04. श्री राजेश कुमार गुप्ता —वकील अप्रार्थीगण

—:: निर्णय ::—

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र मुन्तकिल पेश कर उपखण्ड अधिकारी बानसूर के न्यायालय में विचाराधीन वाद बअनुवानी बनारसी उर्फ बनवारी बनाम छीतर वगे0 को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर तलब किया गया।

विद्वान वकील प्रार्थी ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सूक्ष्म तथ्य इस प्रकार हैः मिन प्रार्थी द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर में अन्तर्गत दावा घोषणात्मक व तकास्मा 88, 89, 53,

जिला कलक्टर, अलवर

188, आर.टी.एक्ट बउनवान बनारसी उर्फ बनवारी बनाम छीतर वगे0 विचाराधीन है। वाद पत्र दिनांक 22.10.2020 को प्रस्तुत करने के बाद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 04.11.2020 को विवादित आराजी के संबंध में स्थगन आदेश जारी किया दिनांक 04.11.2020 के बाद दिनांक 28.12.2020 की तारीख पेशी नियत की गई। जिस पर प्रतिवादी छीतर द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 39 नियम 4 सहपठीत धारा 151 सी.पी.सी. प्रस्तुत किया जिस प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मिन प्रार्थी को सुने बिना जवाब प्रस्तुत किये बिना आगामी तारीख पेशी 28.12.2020 की जगह 14.12.2020 नियत कर दी गई। प्रतिवादी पक्ष की ओर से शीघ्र सुनवाई हेतु कोई प्रार्थनापत्र पेश नहीं किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से प्रार्थी को एलानिया कहा जा रहा है। की पीठासीन अधिकारी से बातचीत हो चुकि है। हमने हमारी पत्रावली 14.12.2020 में रखवाली है हमारे पक्ष में फैसला करवा लेगें। तुम्हारा मुकदमा खारिज करवा देगें। मिन प्रार्थी को पूरा अंदेशा है कि पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी के पक्ष में निर्णय पारित कर सकते है जबकि उक्त मुकदमें में अन्य प्रतिवादीगण की तामील शेष है मिन प्रार्थी को उक्त मुकदमें में पीठासीन अधिकारी से न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर में विचाराधीन मुकदमा बउनवान बनारसी उर्फ बनावारी बनाम छीतर को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने की कृपा करें।

वकील अप्रार्थीगण उपस्थित। वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी एकपक्षीय रूप से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया तथा अप्रार्थी को स्थगन आदेश का पता चला तो अप्रार्थी ने अपने हितो की रक्षा के लिए एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 4 पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन वाद में विवादित आराजी का विभाजन पूर्व में तहसीलदार बानसूर के आदेश कमांक कैम्प/430 दिनांक 05.07.2016 के द्वारा किया जा चुका है। बनारसी के मन में बदयान्ती आने के कारण उक्त विभाजन को निरस्त करवाने हेतु न्यायालय सिविल न्यायाधीश महोदय बानसूर में एक वाद बनारसी बनाम छीतर वगे0 पेश किया हुआ है। जिसकी जानकारी भी प्रार्थी को भलीभांती है। उक्त विभाजन पत्र दिनांक 05.07.2016 के विरूद्व न्यायालय श्रीमान के समक्ष अपील भी प्रस्तुत की गई है। जिस अपील को दिनांक 07.11.2019 को श्रीमान् द्वारा खारिज फरमाया गया। सभी तथ्यों को छुपाते हुए प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में एकपक्षीय स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया तथा पीठासीन अधिकारी के विरूद्व श्रीमान् के न्यायालय में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश कर दिया है। ताकि अधिनस्थ न्यायालय में विचाराधीन वाद पत्र में सुनवाई ना हो सकें। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

हमनें पत्रावली एवं उभय–पक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। उपखण्ड अधिकारी बानसूर ने अपना जबात प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के बिन्दूओं को स्वीकार/अस्वीकार करते हुऐं अपनी टिप्पणी में अंकित किया है कि प्रार्थी द्वारा उक्त वाद दिनांक 04.11.2020 को पेश किया गया। जिसमें आगामी तारीख 28.12.2020 नियत की गई। प्रतिवादी छीतर के द्वारा दिनांक 07.12.2020 को एक प्रार्थना पत्र मिसल तलब करने के साथ प्रार्थनापत्र आदेश 39 नियम 4 व सहपठीत धारा 151 सी.पी.सी. पेश किया गया। जिसपर आगामी तारीख पेशी 09.12.2020 नियत की गई। दिनांक 09.12.2020 को प्रार्थी वकील को प्रार्थना पत्र की नकल दिलवाई जाकर मिसल तलबी प्रार्थना पत्र में आगामी तारीख पेशी 14.12.2020 नियत की गई। दिनांक 14.12.2020 को प्रार्थी का एक प्रार्थना पत्र उक्त उनवानी प्रकरण को मुन्तकिल करवाये जाने हेतु पेश कर निवेदन किया गया है कि उक्त प्रकरण में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र श्रीमान् अति0 जिला कलक्टर, द्वितीय के यहां प्रस्तुत कर दिया गया है। अतः मुकदमें में आगामी कार्यवाही स्थगित की जावें। उक्त सूचना प्राप्त होने पर मूल पत्रावली में तारीख पेशी 28.12.2020 नियत कर दी गई है। प्रार्थी द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र न्यायिक प्रकिया को प्रभावित करने की मंशा से पेश किया गया है, जो काबिल खारिज है। यदि प्रकरण को इस न्यायालय से किसी दीगर न्यायालय में मुंतकित किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है।

वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस व प्रार्थना पत्र में अधिनस्थ न्यायालय में विचाराधीन पत्रावली को मुंतकिल करने का कोई युक्तियुक्त कारण नही दिया है ना ही उक्त संबंध में किसी स्वतंत्र व्यक्ति के हलफनामा पेश किया है जिससे ऐसा लगता हो कि अधिनस्थ न्यायालय में विचाराधीन पत्रावली को मुंतकिल किया जाना आवश्यक हो। प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

जिला कलक्टर, अलवर

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र मुंतकिल खारिज किया जाता है। पीठासीन अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में विधिवत सुनवाई कर शीघ्र निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें।

निर्णय प्रति उपखण्ड अधिकारी बानसूर को पालनार्थ भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.02.2022 को अद्योहस्तारकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नन्नूमल पहाड़िया)
जिला कलक्टर, अलवर
(राजस्थान)